राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2085/2025

मोनू धायल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशल, निदेशालय पशुपालन, पशुपालना विभाग, जयपुर।
2. सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, बाकरा, जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशु पालन सहायक पद के विरूद्ध पशु चिकित्सालय, तोगडा कला, जिला झुन्झुनूं में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति टेक्नीकल हैल्पर के पद पर एवीवीएनएल झुन्झुनूं में कार्यरत है। अपीलार्थी 3 वर्ष पूर्व हुई दुर्घटना के चलते स्पाईनल कोर्ड (रीढ की हड्डी) में गंभीर चोट से ग्रस्ति है जिसका नियमित उपचार चल रहा है। चिकित्सकीय दस्तावेज अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग 35 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी एकल परिवार में रहती है एवं 4 वर्ष का पुत्र है, जो झुन्झुनूं में ही अध्ययनरत है। अपीलार्थी के परिवार का राशन कार्ड व पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति अनुलग्नक–3 व 4 पर अंकित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 13.01.2024 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय पशु चिकित्सालय, बाकरा, जिला झुन्झुनूं से पशु चिकित्सालय, तोगडा कला, जिला झुन्झुनूं किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य